

IN THE COURT OF DEPUTY COMMISSIONER, LOHARDAGA

Schedule XIV From No- 562

ORDER SHEET

The State of Jharkhand

(See Rules 129 of the Record Manual 1941)

V/s

Order sheet datedTo.....

Fulchand Sahu & Ors.

Case No- **11/24-25**

Nature of Case- **Confiscation**

U/S Rule 11(V) of the Jharkhand minerals (Prevention of illegal mining, Transportation And storage) Rule 2017,

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर					आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1.	2.					3.
12/12/24	आदेश					
यह Confiscation Case No- 11/24-25 राज्य सरकार बनाम 1. फुलचन्द साहु 2. विदेशी महतो में पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा के पत्रांक 379/अप०शा० दिनांक 27.06.2024 एवं सेन्हा थाना काण्ड सं० 23/24 दिनांक 04.04.2024 के आलोक में धारा 379/411 भ०द०वि० Jharkhand Minerals (Prevention of illegal mining, Transportation &Storage) Rule 2017, sec-4/21 Minor Minerals and (development and regulation Act- 1957) sec-4/54 of Jharkhand minor minerals concession Rule-2004 में अग्रेतर वाद दायर कर निम्नांकित वाहन को राजसात करने हेतु वाद प्रारम्भ किया गया है।						
वाहन की विवरणी						
क्र०	वाहन के प्रकार (मोडल नं०)	वाहन सं०	चेचिस नंबर	ईजन नंबर	मालिक का नाम/पता	
01.	महिन्द्रा ट्रैक्टर मॉडल 415 DISP PLUS	JH08J-8882	MBNTFAUBEMN D01213	NMD4SAE0163	फुलचन्द साहु पे०-छोटकु साहु सा०-एकागुड़ी टंगरा टोली, थाना-सेन्हा, जिला-लोहरदगा।	
02.	महिन्द्रा ट्रैक्टर मॉडल 575 DIMKMDLX	JH08J-3437	MBNABALXAKN C 00345	NKC2MBE 0526	विदेशी महतो , पिता-माण्डु महतो, सा०-एकागुड़ी डारु, थाना-सेन्हा, जिला लोहरदगा	
इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में दायर प्रकरण W.P.(C) 6788/2023, W.P.(C) 7531/2023 दायर किये गये थे।						
मामले में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में दायर प्रकार संख्या W.P.(C) 6788/2023, में M/S Aditya Enterprises Proprietorship firm बनाम सरकार W.P.(C) 7531/2023, सरुन कुमार वो ललन कुमार इन्दर Issues में उठाये गये मामले को स्वीकार कर लिया गया तथा इस प्रकार के मामले को दिनांक 22.07.2024 को पारित आदेश द्वारा Conanizance & confiscation, हेतु						

Judicial Magistrate first class को सक्षम माना गया है। तथा Rule 11(V) of the Jharkhand minirals(Prevention of illegal mining, Transportation And storage) Rule 2017, as ultra vires, any confiscation proceeding by the Deputy Commissioner of any District within the State of Jharkhand under the Rule is illegal and is without any authority of law and is beyond Jurisdiction घोषित किया गया है।

निर्णय

अतः माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रांची द्वारा W.P.(C) 6788/2023, एवं W.P.(C) 7531/2023, में दिनांक 22.07.2024 को पारित आदेश के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।


उपायुक्त,
लोहरदगा।


उपायुक्त,
लोहरदगा।